अपील सूचना अधिकार संख्या 12/2020 (GCMS 2020/00012) राधेश्याम गोयल पुत्र स्व. श्री भगवान दास गोयल जाति अग्रवाल आयु 70 वर्ष निवासी 23 के ब्लॉक, श्रीगंगानगर बनाम लो.सू.अ. एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी, श्रीगंगानगर

08.02.2021

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल स्वयं उपस्थित हुआ और कथन किया कि उसने लो.सू.अ. एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी, श्रीगंगानगर से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दिनांक 18.11.2019 से दो बिन्दुओं की सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी ने उसे निश्चित समय सीमा में उपलब्ध नहीं करवाई है इसलिए उसने लोकसूचना अधिकारी पर 25000/– शास्ति अधिरोपित करने, हर्जाना दिलवाने एवं वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने की प्रार्थना की है।

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी राधेश्याम गोयल ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 18.11.2019 के द्वारा लो.सू.अ. एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी, श्रीगंगानगर से निम्न सूचना चाही थीः

1. **बीएलओ तत्कालीन भाग संख्या 80 श्री सुभाष गोयल द्वारा लोकसभा चुनाव 2014 में प्राप्त किये गये मानदेय की राशि की सूचना मय दिनांक सहित।**
2. **जिस अवधि से जिस अवधि का मानदेय लोकसभा चुनाव 2014 मे प्राप्त किया उसकी सूचना व प्रमाणित प्रति।**

उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक एसडीएम/गंगा/पीए/2019/58 दिनांक 27.09.2020 से अपीलार्थी को निम्नानुसार जवाब प्रेषित किया है :

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

उपरोक्त विषय में लेख है कि आप द्वारा इस कार्यालय में सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के अन्तर्गत सूचना चाही थी। आपका आवेदन दिनांक 18.11.2019 आईपीओ नम्बर 46 एफ 986834 उक्त सूचना बिन्दुवार निम्न प्रकार है :

क्र. सं.	चाही गई सूचना	सूचना
1.	बीएलओ तत्कालीन भाग संख्या 80 श्री सुभाष गोयल द्वारा लोकसभा चुनाव 2014 में प्राप्त किये गये मानदेय की राशि की सूचना मय दिनांक सहित।	निर्वाचन विभाग के दिशा–निर्देशानुसार 2014 में बीएलओ को 250/–प्रति माह की दर से प्रति वर्ष 3000 का मानदेय दिया जाता है
2.	जिस अवधि से जिस अवधि का मानदेय लोकसभा चुनाव 2014 मे प्राप्त किया उसकी सूचना व प्रमाणित प्रति।	बीएलओ को 2014 में प्रति माह 250/–प्रतिमाह की दर से भुगतान किया गया है। मानदेय बीएलओ के बैंक खाता में सीधा जमा करवाया जाता था।

उपखण्ड अधिकारी
श्रीगंगानगर

चूंकि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 18.11.2019 का जवाब उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा उक्तानुसार दिया जा चुका है, जो सही है जिसमें किसी प्रकार के हंस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। इसलिए अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज करन योग्य है।

अतः उक्त विवेचन अनुसार अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर को पालनार्थ एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब़ तकमी़ल दाखि़ल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 08.02.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(महावीर प्रसाद वर्मा)

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर